

गृह मंत्रालय
मांग संख्या 55
जम्मू और कश्मीर को अंतरण

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2018-2019 | | | बजट 2019-2020 | | | संशोधित 2019-2020 | | | बजट 2020-2021 | | |
|---|--------------------|-------|------|---------------|-------|------|-------------------|-------|------|---------------|-------|----------|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| कुल | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 30757.00 | ... | 30757.00 |
| वसूलियां | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| प्राप्तियां | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| निवल | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 30757.00 | ... | 30757.00 |
| क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है: | | | | | | | | | | | | |
| राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण | | | | | | | | | | | | |
| अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण | | | | | | | | | | | | |
| 1. संघ राज्य क्षेत्र आपदा अनुक्रिया निधि में योगदान के लिए अनुदान | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 279.00 | ... | 279.00 |
| 2. संघ राज्य क्षेत्र को केंद्रीय सहायता | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 30478.00 | ... | 30478.00 |
| जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 30757.00 | ... | 30757.00 |
| कुल जोड़ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 30757.00 | ... | 30757.00 |
| ख. विकास शीर्ष | | | | | | | | | | | | |
| अन्य | | | | | | | | | | | | |
| 1. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 30757.00 | ... | 30757.00 |
| जोड़-अन्य | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 30757.00 | ... | 30757.00 |
| कुल जोड़ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 30757.00 | ... | 30757.00 |

1. **संघ राज्य क्षेत्र आपदा अनुक्रिया निधि में योगदान के लिए अनुदान:** ये प्रावधान संघ राज्यक्षेत्र आपदा अनुक्रिया निधि को अंशदान के लिए हैं।
2. **संघ राज्य क्षेत्र को केंद्रीय सहायता:** यह प्रावधान जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र को अपने संसाधन संबंधी कमी को पूरा करने के लिए इसकी सहायता के लिए है।